बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

पत्रांक–भवन / स्था0–04 / विविध–44 / 2026.....9978 / 3

प्रेषक,

अवधेश नंदन सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता,
भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांकः– 23/10/26

विषयः– सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के नामांकन / नियुक्ति में प्राप्त हो रहे आरक्षण के लाभ से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक–17835 दिनांक–28.09.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुये कहना है कि आपके अंचलों एवं अधिनस्थ प्रमंडलों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नियुक्ति में प्राप्त हो रहे आरक्षण के लाभ से संबंधित प्रतिवेदन की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नियुक्ति में प्राप्त हो रहे आरक्षण के लाभ से संबंधित वांछित प्रतिवेदन 03 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि समेकित प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायी जा सकें।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(अवधेश नंदन सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्र संख्या–11 / आ0 वि0–25 / 2026 सा0प्र0 17835

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार भा0प्र0से0.
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

ई–मेल

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव,
सभी सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक– 28.9.26

विषय :– **सभी जिलों / विभागों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नामांकन / नियुक्ति में प्राप्त हो रहे आरक्षण के लाभ से संबंधित प्रतिवेदन समेकित करते हुए आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

प्रसंग :– **उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक–648 दिनांक–14.09.2026 एवं पत्रांक–661 दिनांक–22.09.2026**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा दिनांक–08.09.2026 को माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में आहूत बैठक में दिए गए निदेश के आलोक में सभी जिलों / विभागों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नामांकन / नियुक्ति में प्राप्त हो रहे आरक्षण के लाभ से संबंधित प्रतिवेदन समेकित करते हुए आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त वांछित प्रतिवेदन के संबंध में शिक्षा विभाग / उच्च शिक्षा विभाग / युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग / विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक–29.09.2026 को समीक्षात्मक बैठक आहूत की जानी है, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग से समेकित प्रतिवेदन की मांग की गयी है।

उल्लेखनीय है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए) आरक्षण अधिनियम–2 / 2019 के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–26.02.2019 द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

अतएव अनुरोध है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नामांकन / नियुक्ति में प्राप्त हो रहे आरक्षण के लाभ से संबंधित वांछित प्रतिवेदन यथाशीघ्र सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि समेकित प्रतिवेदन उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना को प्रेषित की जा सके।

अनु0 यथोक्त।

विश्वासभाजन

28/09/26

(रजनीश कुमार)
सरकार के अपर सचिव